न्यायालय - माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)
कैम्प भोपाल (म.प्र.)

= = = = = = = = = =

प्र.क्र. /1000 निगरानी- 3810/2018/विदिशा/भू.रा.

सत्यनारायण दुबे पुत्र श्री स्व. ठाकुर प्रसाद दुबे,
नि० व कृषक ग्राम - देवखजूरी, तह. व जिला -
विदिशा (म.प्र.), हा नि. - टीलाखेड़ी,
विदिशा (म.प्र.) ----निग०/आपत्तिकर्ता.

बनाम

रमेश कुमार दुबे पुत्र स्व. ठाकुर प्रसाद दुबे,
नि०/कृषक ग्राम - देवखजूरी, तह. व जिला -
विदिशा (म.प्र.), हा. नि. - विदिशा (म.प्र.)
---गैर निग०कर्ता/आवेदक

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म.प्र.भू रा.संहिता व खिलाफ
आदेश दिनांक 12.3.2018 न्यायालय - नायब तहसीलदार
महो०,विदिशा, वृत्त 1/1 रमेश कुमार दुबे बनाम म.प्र.शासन.

- -

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से "निगरानी" निम्नानुसार
प्रस्तुत है :-

संक्षेप में निगरानी के तथ्य :-

यह कि, गैर-निगरानीकर्ता / आवेदक द्वारा
ग्राम - देवखजूरी, तह. व जिला - विदिशा स्थित आ. क्र. 6/1 रकबा
1.938 है० एवं आ. क्र. 6/3 रकबा 0.052 है० कुल रकबा 1.989 है० में
से रकबा 0.397 है० भूमि को हक-परित्याग के आधार पर अधिनस्थ
न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया । निगरानीकर्ता
/आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि - हक-परित्यागकर्ता

--2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3810/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम देवखजूरी स्थित भूमि खसरा नं. 6/1, 6/3 रकवा क्रमश: 1.938 एवं 1.989 में ये 0.397 हे. भूमि के हक परित्याग के आधार पर नामांतरण का दावा प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिसे निराधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई एवं हक त्यागकर्ता को आहुत किए जाने के आदेश दिए। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित प्रतीत होती है, जिसमें हसतक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	